(b) Does not arise.

(c) and (d) No such instance has been brought to the notice of the Government.

खाद्यान्नों के भण्डारण की सुविधाएं

1687. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां खाद्यान्नों के भंडार के लिए किसानों को भाण्डागार तथा गोदाम की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी थी ; और

(ख) इन भाण्डागारों से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से खाद्यान्नों के भंडारण के लिए किन्हीं भाण्डागारों तथा गोदामों का निर्माण नहीं किया गया है । ग्रामीण गोदामों की स्थापना की योजना के अंतर्गत बनाये गये गोदाम सभी कृषि तथा सम्बद्ध वस्तुओं अर्थात् खाद्यान्नों, तिलहनों, फलों, सब्जियों, लघु वन उपज आदि के भंडारण के लिए होते हैं । इन गोदामों का इस्तेमाल कृषिनिवेशों के भंडारण के लिए भी किया जा सकता है ।

(ख) इन गोदामों द्वारा लाभान्वित हुए किसानों की संख्या का सही अनुमान उपलब्ध नहीं है । तथापि, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे गोदामों के प्रस्तावित स्थान के आस-पास के गांवों की भंडारण आवश्यकताओं के आधार पर इन गोदामों के स्थान का निर्णय लें ताकि इनसे अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें ।

कागज उद्योग के लिए कच्चे माल का अभाव

(क) क्या यह सच है कि कागज उद्योग कच्चे माल की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा कागज उद्योग की कच्चे माल की मांग को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) कागज उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें एक समस्या कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति की है ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वन नीति के कारण वन आधारित कच्चे माल की आपूर्ति कम हो रही है । इसलिए, कम सीमा शुल्क दर पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज का आयात करने की अनुमति दी गयी है । सरकार कृषि अवशिष्टों, खोई तथा अन्य गैर-परंपरागत कच्चे माल के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करती है । खोई, कृषि अवशिष्टों तथा अन्य गैर-परंपरागत कच्चे माल को न्यूनतम 75% लुगदी पर आधारित कागज एककों को नयी औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसीकरण से छूट दी गयी है ।